राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

मामला क्रमांकः– 202510032100002/अ–62/2025–26
ग्रामः–उपरकछार तहसील फरसाबहार

19.11.2025

–आवेदक श्री गणेश राम पिता छबिल निवासी ग्राम उपरकछार तह. फरसाबहार जिला जशपुर, (छ.ग.) द्वारा ग्राम उपरकछार प.ह.नं. 03 में स्थित आवेदक के भूमि स्वामी हक की भूमि ख.नं. 331 रकबा 0.073 हे. भूमि में पूर्व में कृषि के रूप में रोपित वृक्षो की कटाई करना चाहता है काटे जाने वाले वृक्षो की प्रजाति 01 नग ईमली है जिसे काटे जाने की अनुमति हेतु वृक्ष कटाई अधिनियम में निहित प्रारूप– ग में आवेदन बी–1 एवं अन्य सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर आरंभ किया गया है।

–प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण पर हल्का पटवारी/वनरक्षक ग्राम तपकरा से संयुक्त मौका/अभिलेख जांच पंचनामा प्रतिवेदन मंगाया गया।

–हल्का पटवारी/परिक्षेत्र सहायक तपकरा के प्रतिवेदनानुसार आवेदक गणेश राम पिता छबिल निवासी उपरकछार तहसील तपकरा जिला जशपुर छ0ग0 के द्वारा अपने भूमि स्वामी हक में स्थित भूमि ख0नं0 331 रकबा 0.073 हे. भूमि में पूर्व में कृषि के रूप में रोपित वृक्ष कटाई के संबंध वन परिक्षेत्राधिकारी एवं हल्का पटवारी द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 01.11.2025 को जॉच किया गया। जॉच में ईमली पेड़ 01 नग आवेदित भूमि के ख0क्रमांक 331 रकबा 0.073 हे. में स्थित नही है उक्त ईमली पेड़ 01 नग ख0नं0 346 रकबा 0.142 हे. मध्य शासकीय (सड़क, ईमारत) में स्थित है। आवेदित वृक्ष का विवरण निम्नुनसार हैः–

क्र.	प्रजाति	नग	गोलाई (से.मी. में)	लंबाई(मी. में)
1	ईमली	01	00	00

–अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में संलग्न अभिलेखों, हल्का पटवारी/वन परिक्षेत्राधिकारी तमपकरा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटर नगर के छत्तीसगढ राजपत्र(असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्र. एफ 4–34/सात–1/2021 दिनांक 11 फरवारी 2022 में उल्लेखित निर्देशों एवं प्रावधानों के तहत ग्राम उपरकछार प.ह.नं. 03 में स्थित आवेदक के भूमि स्वामी हक की भूमि ख.नं. 331 रकबा 0.073 हे. पर ईमली पेड़ नही है बल्कि ख0नं0 346 रकबा 0.142 हे. के मध्य शासकीय (सडक, ईमारत) में स्थित है। चूंकि आवेदक के भूमि स्वामी हक की भूमि पर 01 नग ईमली वृक्ष नही होने के कारण को कटाने की अनुमति स्वंय के उपयोग के लिए नही दी जाती है।

–आवेदक संसूचित हो। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नही। प्रकरण नस्ती कर अभिलेख कोष्ठ भेजें।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
फरसाबहार, जिला जशपुर, छ.ग.